न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/81/2024	2024/135	28.11.2024	21.03.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान)।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ई—244—245, बुध विहार, अलवर राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री अनूप खटाणा —वकील अप्रार्थी।

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 23.10.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ई—244—245, बुध विहार, अलवर की शिवा मिष्ठान भण्डार विजय मन्दिर रोड, अलवर (राज०) स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ई—244—245. बुध विहार. अलवर उपस्थित मिले। श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० ज्योति गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री रंजीत पुत्र श्री मुलायम सिंह निवासी ग्राम आलमपुर, करोली, राजस्थान को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी फर्म शिवा मिष्ठान भण्डार के नाम से कार्य कारोबार करता है। जिस कार्य के लिए प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

कॉमर्शियल गैस सिलेन्डर का ही उपयोग करता है। मिन प्रार्थी के परिवार में दो घरेलू गैस सिलेण्डर कनेक्शन है। जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर का कनैक्शन मिन प्रार्थी के नाम पर व दूसरा घरेलू गैस सिलेण्डर का कनैक्शन प्रार्थी के भाई राजू के नाम पर है। दोनों गैस कनैक्शन इण्डेन गैस कम्पनी से जारी है। परिवार मे घरेलू उपयोग के घरेलू गैस सिलेण्डरों मे से एक सिलेण्डर खाली हो गया था व दूसरा गैस सिलेण्डर आधा ही उपयोग में आया जिसमें हल्की लीकेज थी। गैस कम्पनी का हॉकर प्रार्थी की दुकान से ही खाली गैस सिलेण्डर लेकर भरा गैस सिलेण्डर देकर जाता है क्योंकि मिन प्रार्थी की उक्त दुकान घर से नजदीक पडती है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर हॉकर को देने के लिए ही दुकान पर रखे हुऐ थे। जिसमें प्रार्थी की कोई बदयांती नहीं रही है। मिन प्रार्थी कानून में पूर्ण आस्था रखता है। इस प्रकार उक्त गैस सिलेण्डर की बाबत प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अपराध साबित नहीं होता है और ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त धारा के तहत कोई अपराध कारित किया है। प्रार्थी निर्दोष है। जांच अधिकारी को तमाम तथ्यों से वक्त दौराने जांच अवगत करा दिया गया था लेकिन उसके बावजूद गलत आधार पर प्रार्थी को यह नोटिस प्रेषित कराया हैं। प्रार्थी द्वारा कोई अवैध रूप से संग्रहित नहीं किया गया है और ना ही उपरोक्त जप्त गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग मे लिया गया है। उक्त जप्त गैस सिलेण्डरों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं। प्रार्थी उक्त जप्त 2 गैस सिलेण्डर वापिस पाने का हकदार है जो वापिस लौटाये जावे और इस नोटिस के भार से मुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त 2 गैस सिलेण्डर प्रार्थी के आधिपत्य से जप्त किया है इसलिए प्रार्थी उक्त जप्त 2 गैस सिलेण्डरो को वापिस पाने का हकदार है।

अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किया जाकर जप्त 2 गैस सिलेण्डर वापिस प्रार्थी को दिए जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नरेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)